

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र.**

Email ID- dcourtshj-mp@nic.in

PH. No. 07364-227909

**निविदा**

क्रमांक- 1466/लेखा/22

शाजापुर, दिनांक 16/03/2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 के लिये वाहन स्टेण्ड की निविदायें अंतिम तिथि दिनांक 26.03.2022 को सायंकाल 05:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तों के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

01. वाहनों को स्टेण्ड पर रखने की दरे :-
    - (ए) सायकल - 05 रुपये प्रतिदिन
    - (बी) दोपहिया वाहन - 10 रुपये प्रतिदिन
    - (सी) चार पहिया वाहन एव अन्य - 20 रुपये प्रतिदिन
    - (डी) न्यायिक अधिकारियों/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है। उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निःशुल्क पात्रता होगी।
  02. वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध ग्रहीता की होगी।
  03. अर्नेस्ट मनी रुपये 40,000/- (अंकन चालीस हजार रुपये मात्र) की चार गुना राशि 1,60,000/- (अंकन एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबन्ध दर से उच्चतम अनुबन्ध दर की निविदायें विचारणीय होगी।
  04. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ 40,000/- (अंकन चालीस हजार रुपये मात्र) की अर्नेस्ट मनी जिला नाजिर, नजारत अनुभाग शाजापुर में एम.पी.टी.सी.-6 की रसीद में जमा कर रसीद की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करने पर ही ई-निविदा अंतिम रूप से स्वीकार की जाकर एक वर्ष हेतु वाहन स्टेण्ड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने पर अनुबन्ध की शेष राशि सात दिवस में जमा करने पर वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुमति दी जावेगी। अर्नेस्ट मनी/अमानत राशि जिला नाजिर एम.पी.टी.सी.-6 की रसीद में प्राप्त कर आगामी आदेश पर्यन्त सुरक्षित रखेगे।
  05. विभागीय समिति की सिफारिश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के अनुमोदन पर सूचित करने के पश्चात अधिकतम अधिमान्य निविदा की स्वीकृति मान्य होने पर शेष अनुबन्ध की राशि निर्धारित समयावधि सात दिवस में अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासन हित में राजसात कर वित्तीय अधिकतम दर से संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबन्ध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
  06. स्वीकृत निविदा के अतिरिक्त शेष निविदादार अपनी-अपनी अमानत राशि नियमानुसार 15 दिवस के अंदर प्राप्त करने के हकदार होंगे।
  07. उक्त ई-निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर होंगे।
  08. शासकीय कारणों से उक्त ई-निविदा किसी भी समय किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
  09. वार्षिक अनुबन्ध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः अनुबन्ध प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।
  10. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जिले के लिये बनाई गई शिकायत निवारण समिति जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य सदस्य होंगे के द्वारा किया जायेगा।
- संलग्न :- निविदा फार्म।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शाजापुर मध्यप्रदेश

# निविदा फार्म

## OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

1. Rate Quotation of the Tenderer .....
  2. Earnest Money Rupees. 40,000/- Will be deposited before approval of tender by Head of Department Office.
  3. M.P.T.C.-6 Receipt No. ....Enclose copy.
  4. PAN No. ....Enclose copy of current income tax return.
  5. GST No. ....Enclose copy of live registration.
- The terms & conditions of the tender are Acceptable to me/us.

Singnature .....

Name & Address with seal & Date.....

.....  
.....

Phone No. ....

Mobile No.....

Fax .....

E-mail .....

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र.

Email ID- dcourtshj-mp@nic.in

PH. No. 07364-227909

## विज्ञापन

जिला न्यायालय शाजापुर के वाहन स्टैण्ड के लिये दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु नीलामी ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जाना है जिसकी अंतिम तिथि 26.03.2022 निर्धारित की गई है।

ई-टेंडरिंग का प्राधिकृत प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

इच्छुक निविदाकार ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा विज्ञापन की शर्तों के अधीन भाग ले सकेंगे।

SrShri  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शाजापुर मध्यप्रदेश